

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02


अतारंकित प्रश्न संख्या:- 179

दिनांक: - 28.02.2019

प्रश्नकर्ता: - श्रीमति प्रमिला टोकस

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया ऑफिस में अधिकारियों द्वारा पेंशन लाभार्थियों को बार-बार अनाप-शनाप आपत्तियाँ लगा कर तंग किया जाता है;	जी नहीं। आवेदनकर्ताओं के भिन्न-भिन्न दस्तावेजों में कोई कमी इत्यादि के संशोधन हेतु अवश्य फोन कर बुलाया जाता है तथा त्रुटि को खत्म किये जाने के लिये आवेदनकर्ता को स्वयं आना आवश्यक हो जाता है। दस्तावेजों में पाई जाने वाली कमियां निम्न प्रकार है - 1) दस्तावेज अपूर्ण होने पर। 2) दस्तावेज अस्पष्ट होने पर। 3) e-district पोर्टल पर सत्यापित होने वाले दस्तावेजों के सत्यापित न होने के कारण इत्यादि।
	यदि हाँ, तो क्या सरकार की ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई योजना है;	उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता।
(ग)	क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया ऑफिस में विधायक ऑफिस से ऑनलाइन विधवा पेन्शन फार्म भरने के पश्चात जाँच करने के लिए ऑफिस में अभी तक कोई जाँच ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया गया है;	महिला एवं बाल विकास विभाग के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कार्यालय में ऑनलाइन विधवा पेंशन फार्म भरने के पश्चात् जाँच करने के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा कल्याण अधिकारी (वेरीफायर) उपलब्ध है।
(घ)	ये ऑपरेटर कब तक नियुक्त कर दिए जायेंगे;	उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।


Dy. Director (P)
Dept. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110012